न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 06/2013

RCMS No. 2013/00038

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत		बंशीलाल पुत्र सादूल कौम चोकीदार निवासी खारिया सोढा तहसील सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित भूमि को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम परिहार, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक 28/3/18

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 को हुए भूमि के आवंटन निरस्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खारिया सोडा के खसरा नम्बर 7/4 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा दिनांक 07.06.1985 के द्वारा बंशीलाल पुत्र सादूल को आवंटन हुई थी। उक्त आवंटन के आधार पर आवंटी का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावे एवं आवंटन को अपास्त करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम खारिया सोडा के खसरा नम्बर 7/4 रकबा 1.00 हेक्टेयर की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार बंशीलाल पुत्र सादूल कौम चौकीदार निवासी खारिया सोडा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.01.2013 के अनुसार अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। जो राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 का उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें वांछित भूमि ग्राम खारिया सोडा के खसरा नम्बर 7 रकबा 9.13 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 बाला में से 1.00 हैक्टेयर भूमि का आवंटन

अति० जिला कलक्टर, पाली

कराने का निवेदन किया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी को भूमिहीन बताया तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि को बारानी अव्वल मानते हुए आवंटन किया गया है, जबकि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी को भूमि कि किस्म परिवर्तन के अधिकार ही नहीं थे। इस प्रकार जैर प्रार्थना पत्र आवंटन विधि विरूद्ध रूप से किया गया है, जो कायम रखने योग्य नहीं है, इसके अतिरिक्त वक्त आवंटन से आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होना, आवंटन की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंशीलाल पुत्र सादूल कौम चौकीदार निवासी खारिया सोडा को ग्राम खारिया सोडा के खसरा नम्बर 7 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि का दिनांक 07.06.1985 को किए गए आवंटन को निरस्त किया जाता है तथा भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है, साथ ही तहसीलदार सोजत को निर्देश दिये जाते है कि वे भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर कब्जा प्राप्त करें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली